

FORM NO III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अजमेर जिले के उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• राजकुमार मीणा आयु 30 साल पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज।  
-प्रार्थी

बनाम

• काली देवी आयु 38 साल पुत्री काना, जाति मील, निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य  
-अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 212 राज0 का0 अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 67/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/76

वकील प्रार्थी:- श्री अशोक शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
09.07.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 27/9/24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अराई	
08/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकासन् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अनुकाश पर धमारे। पत्रावली पूर्व अज्ञेयानुसार दिनांक 27/9/24 को पेश हो।	
27/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकासन् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अनुकाश पर धमारे। पत्रावली पूर्व अज्ञेयानुसार दिनांक 27/9/24 को पेश हो।	
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकासन् उपस्थित। 01/12/24 त 08/12/24 को तामील हुआ। (माम पत्रावली शा.मि। तहसील अराई काजवाब शा.मि।) अग्रिम 05 तामील अभिज्ञ की दिनांक अग्रिम पत्रावली 10/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	

11/3/2026

पत्रावली पोलिसी वहील पत्रावली उपर

पुराने में मूल वीडियो का विस्तारण हो चुका है

केत, कुछ प्रतीति पत्र में दाहिने पत्रों का कोई

कौनिलप रही है। दाहिने पत्रों पर उल्लेख है

कवर के रूप में

**उपखण्ड अधिकारी**

भरौंद (अजमेरा)